[2021] 3 एस. सी. आर. 364

जस्टिस वी. ईश्वरिया (आर. ई. टी. डी.)

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2021 की विशेष अवकाश याचिका (सी) संख्या 6100)

12 अप्रैल, 2021

[अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी, जेजे।]

जनहित याचिकाः तत्काल विशेष अनुमति याचिका रिट याचिका में पारित आदेश पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका जनहित याचिका में एक गैर-पक्ष द्वारा दायर की जाती है-उच्च न्यायालय के समक्ष, उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने प्रारंभिक जवाबी हलफनामा दायर किया था

जनहित याचिका की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए और दलील दी कि याचिका राजनीतिक व्यक्ति द्वारा राजनीतिक लाभ और उच्च न्यायालय को बदनाम करने के लिए दायर की गई थी। इसमें आगे कहा गया था कि पूर्व उच्च न्यायालय

सेवानिवृत्ति के बाद, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश 'वी. ई.' ने सेवानिवृत्ति के बाद का पद प्राप्त किया था और उच्च न्यायालय को बदनाम करने वाले संगठन की आड़ में राज्य सरकार का समर्थन कर रहे हैं-उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक आपत्ति सुनी और मामले को फैसले के लिए बंद कर दिया-इसके बाद 2020 का एक आई. ए. नंबर 7 एक 'एस. आर.' द्वारा अपने हलफनामे के साथ दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि रिट याचिका परेशान करने वाली थी और इसे दुर्भावनापूर्ण और निहित स्वार्थ के साथ स्थापित किया गया था-हलफनामे में आगे कहा गया कि मौजूदा सरकार ने एक द्वेषपूर्ण प्रचार किया है न्यायपालिका के खिलाफ अपनी कमियों को छिपाने के लिए, जिसमें कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरकार के हाथों मोहरे बन गए थे और उनके कहने पर, कुछ संगठनों की आड़ में कुछ निहित स्वार्थ न्यायपालिका की ईमानदारी, अखंडता और महिमा को कम करने के लिए रिट याचिकाएं दायर कर रहे थे-पैराग्राफ 8 में, यह अनुरोध किया गया था कि 20.07.2020 पर, पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश 'VE' ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या वह अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ द्वारा प्रस्तुत पत्र से अवगत हैं।

ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ बातचीत हलफनामे के साथ दायर की गई थी, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से पेन ड्राइव में निहित बातचीत की वास्तविकता/प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए जांच करने का अनुरोध किया था-उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश 'वी. ई.' ने तत्काल विशेष अनुमति याचिका दायर की-यह

अदालत ने उसे समय देते हुए-याचिकाकर्ता ने हलफनामा दायर किया और दिनांकित 20.07.2020 की बातचीत को स्वीकार किया और सुधार भी दायर किया।

ऑडियो टेप के अंग्रेजी अनुवाद का अनुलग्नक पी16 के रूप में प्रतिलेख, जिसे उनके समक्ष स्वीकार किया गया था, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के निर्देश के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच जारी रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है-प्रतिलेख की प्रामाणिकता और वास्तविकता को उस हद तक स्वीकार किया गया है जो इसमें निहित है।

अनुलग्नक पी-16, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगने वाले उच्च न्यायालय के निर्देश को जारी रखने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है

रिट याचिकाकर्ता के कहने पर जनहित याचिका की स्थिरता और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई बातचीत दिनांक 20.07.2020 के साथ-साथ मांगी गई जांच रिपोर्ट को छोड़कर मामले में जांच

केवल उपरोक्त उद्देश्य के साथ था-अब, 20.07.2020 दिनांकित प्रतिलेख का अंग्रेजी अनुवाद रिट द्वारा स्वीकार किया गया है।

याचिकाकर्ता, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वयं अनुलग्नक पी-16 के रूप में दायर किया है, यदि उच्च न्यायालय उपरोक्त प्रतिलिपि को संदर्भित करने का इरादा रखता है, यदि आवश्यक हो, तो अवसर देने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

वर्तमान याचिकाकर्ता को।

विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय ने प्रतिलिपि की प्रामाणिकता/वास्तविकता का पता लगाने के लिए इसकी जांच करने का निर्देश दिया है। पेन ड्राइव में निहित बातचीत। न्यायमूर्ति आर. वी. आर., सेवानिवृत्त।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से पेन ड्राइव में निहित बातचीत की प्रामाणिकता/वास्तविकता के बारे में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। जांच को निर्देशित करने का उद्देश्य और उद्देश्य, इस प्रकार, पेन ड्राइव में निहित बातचीत की प्रामाणिकता/वास्तविकता का पता लगाना था। यह न्यायालय याचिकाकर्ता को दिनांक 11.01.2021 के आदेश द्वारा समय देता है, याचिकाकर्ता

हलफनामा दायर किया और बातचीत की तारीख को स्वीकार किया

20.07.2020 और इसका सही प्रतिलेख भी दाखिल किया है

अनुलग्नक पी16 के रूप में ऑडियो टेप का अंग्रेजी अनुवाद, जो है

उन्होंने स्वीकार किया कि न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन द्वारा जांच जारी रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले द्वारा निर्देश दिया गया है। प्रामाणिकता और वास्तविकता प्रतिलेख को उस हद तक स्वीकार किया गया है जिसमें निहित है

अनुलग्नक पी-16, न्यायमूर्ति आर. वी. आर. से रिपोर्ट मांगने वाले उच्च न्यायालय के निर्देश को जारी रखने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि

प्रारंभिक जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 13 में लगाए गए आरोपों पर निर्णय लेने की सीमा के अलावा मुख्य रिट याचिका में शामिल मुद्दे पर जांच का कोई सीधा असर नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने 31.07.2020 और आई. ए. संख्या पर पी. आई. एल. की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति पर सुनवाई बंद कर दी थी। 7 और 2020 के 8 को रिट को फिर से खोलने के लिए दायर किया गया था

याचिका, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न केवल रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में था। अब, 20.07.2020 दिनांकित प्रतिलेख का अंग्रेजी अनुवाद रिट याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं दायर किया गया है

अनुलग्नक पी-16, यदि उच्च न्यायालय उपरोक्त प्रतिलिपि को संदर्भित करने का इरादा रखता है, यदि आवश्यक हो, तो वर्तमान याचिकाकर्ता को अवसर देने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। [पारस 13,14,15] [373-ए-ई]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

(ग) 2021 की सं. 6100।

2020 के डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) संख्या 168 में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 13.08.2020 के निर्णय और आदेश से।

प्रशांत भूषण, सुश्री चेरिल डिसूजा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , सुश्री गरिमा बजाज, निखिल बमाल, शीजान हाशमी, अनमोल खेटा, अक्षत गुप्ता, जीशान महमूद, अनिरुद्ध

वाधवा, अतुल शंकर विनोद, एम. पी. विनोद, विपिन नायर, कार्तिक जयशंकर, अरिंदम घोष, अंशुमान बहादुर, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. यह विशेष अनुमति याचिका याचिकाकर्ता, एक गैर-पक्ष द्वारा, 2020 की रिट याचिका संख्या 168 में दायर की गई है, जिसमें रिट याचिका में पारित 13.08.2020 के आदेश पर सवाल उठाया गया है।

2. विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन की अनुमति है।

3. हमने इस विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी नहीं किया था, हालांकि, प्रतिवादी संख्या 5, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता थे

अदालत ने पेश होकर 13.01.2021 दिनांकित एक जवाबी हलफनामा दायर किया था।

7. ईश्वरैया (आर. ई. टी. डी.) बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[अशोक भूषण, जे।]

इस विशेष मामले पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य

ये हैं:

प्रतिवादी संख्या 5, बी. सी. एस. सी. एस. टी. अल्पसंख्यक छात्र

संघ, के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत सोसायटी

(i) उत्तरदाता संख्या 1 को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए समन्वय में अपनी मशीनरी और राज्य मशीनरी द्वारा कोविड-19 महामारी को और फैलने से रोकने के लिए अपने दिशानिर्देशों को सही भावना से लागू करने का निर्देश दें। ((ii) उत्तरदाता संख्या 4 को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दें।

कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य मशीनरी का प्रभावी ढंग से उपयोग करके उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जारी दिशा-निर्देश और उनके अपने दिशा-निर्देश

आगे

(iii) उत्तरदाता संख्या 3 को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दें।

कोविड-19 को रोकने के लिए प्रतिवादी संख्या 1,4 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

महामारी आगे फैलने से

(iv) उत्तरदाता संख्या 4 को निर्देश दें कि वह उत्तरदाता संख्या 3 परिसर को रेड जोन/कंटेनमेंट जोन घोषित करे।

कोविड-19 को और फैलने से रोकने का आदेश

(v) इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को निर्देश दें कि वे एक केंद्रीय और तटस्थ एजेंसी द्वारा उन घटनाओं की जांच करने के लिए जांच करें जिनके कारण प्रत्यर्थी संख्या 3 के महापंजीयक स्वर्गीय बी. राजशेखर की असामयिक मृत्यु हो गई (इसमें कुलसचिव (प्रभारी) स्वर्गीय बी. राजशेखर की मृत्यु हो गई), वी. आर. अनुभाग में सहायक के रूप में काम करने वाले एक कर्मचारी की मृत्यु और लगभग 30 और कर्मचारियों का परीक्षण किया जा रहा है।

कोविड-19 पॉजिटिव

(vi) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को निर्देश दें कि यदि आवश्यक हो तो अर्धसैनिक बलों का मसौदा तैयार करके और आवश्यक मोबाइल चिकित्सा दल और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी [2021] 3 एस. सी. आर. प्रदान करके कम से कम 2 सप्ताह के लिए सख्त कर्फ्यू लगाने पर विचार करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोविड-19 महामारी को और फैलने से रोकने के लिए और सभी संबंधित लोगों के हित में टीमें।

4.2 प्रत्यर्थी संख्या 3, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय

भारत के राष्ट्रपति ने यहाँ प्रमुख के खिलाफ उल्लेख किया है न्याय। इसके अलावा, अनुच्छेद 13 में यह अनुरोध किया गया था कि इसके बाद

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया ने एक पद प्राप्त किया था।

सेवानिवृत्ति कार्यालय और उक्त पद प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति कार्यालय में, वह उच्च न्यायालय को बदनाम करने वाले बी. सी. संघ की आड़ में राज्य सरकार का समर्थन करना चाहता है। प्रारंभिक जवाबी हलफनामे में यह अनुरोध किया गया था कि याचिका दायर करना दुर्भावनापूर्ण है और तिरछा प्राप्त करने के लिए है

इरादा। उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक आपत्ति को सुना और बंद कर दिया

4.3

31.07.2020 पर निर्णय के लिए मामला। एस. रामकृष्ण द्वारा अपने हलफनामे के साथ 2020 का आई. ए. नंबर 7 दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि रिट याचिका परेशान करने वाली है और इसे दुर्भावनापूर्ण और निहित स्वार्थ के साथ स्थापित किया गया है। हलफनामा आगे

उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा सरकार ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए न्यायपालिका के खिलाफ एक द्वेषपूर्ण प्रचार किया है, जिसमें न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया जैसे कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरकार के हाथों के मोहरे बन गए थे और उनके कहने पर, कुछ संगठनों की आड़ में कुछ निहित स्वार्थ ईमानदारी, अखंडता और महिमा को कम करने के लिए रिट याचिकाएं दायर कर रहे हैं

न्यायपालिका से।

वर्किंग द्वारा प्रस्तुत दिनांकित 29.06.2020 का एक अभ्यावेदन

4.4

ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया हैं, के अध्यक्ष भी वी. ईश्वरैया (आर. ई. टी. डी.) बनाम भारत और ओ. आर. एस. संघ रहे हैं।

[अशोक भूषण, जे।]

शपथ पत्र में संदर्भित। पैराग्राफ 8 में यह दलील दी गई थी कि

न्यायमूर्ति के निजी सचिव वी. ईश्वरैया ने उन्हें (श्री एस. रामकृष्ण) अपने मोबाइल फोन पर 20.07.2020 पर फोन किया और उन्हें बताया कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया उनसे बात करना चाहते हैं और अपना फोन नंबर दिया। हलफनामे में कहा गया है कि बातचीत के दौरान, सेवानिवृत्त। न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ द्वारा दिनांकित 29.06.2020 द्वारा प्रस्तुत पत्र के बारे में पता है। अदालत के अवलोकन के लिए हलफनामे के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ उक्त बातचीत की प्रतिलिपि दायर की गई थी। आवेदक ने प्रार्थना की कि 2000 की रिट याचिका पी. आई. एल. No.168 को फिर से खोला जाए और उपयुक्त आदेश पारित किए जाएं जो उचित और उचित हों।

कि आवेदक (श्री एस. रामकृष्ण, याचिकाकर्ता) को 2020 की रिट याचिका जनहित याचिका No.168 में सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए। ब्याज।

2020 का आई. ए. नंबर 9 प्रत्यर्थी नंबर 3 द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के महापंजीयक के एक हलफनामे के साथ दायर किया गया था। आई. ए. द्वारा, प्रतिवादी संख्या 3 ने कहा कि कार्यवाही के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने प्रारंभिक जवाबी हलफनामे दिनांक 30.07.2020 के पैराग्राफ 13 की सामग्री के बारे में आपत्ति जताई है, ताकि अनावश्यक विवाद से बचा जा सके।

उसे प्रारंभिक जवाबी शपथ पत्र दिनांक 30.07.2020 के अनुच्छेद 13 को हटाने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे अनुच्छेद 13 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 4 में निर्धारित किया गया था। शपथ पत्र। प्रारंभिक जवाबी हलफनामे दिनांक 30.07.2020 के संशोधन के लिए आवेदन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर किया गया था।

रिट याचिकाकर्ता ने आई. ए. नं. को एक जवाबी हलफनामा दायर किया। 7 और 8. उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.08.2020 के विवादित फैसले द्वारा बातचीत की प्रामाणिकता/वास्तविकता का पता लगाने के लिए जांच का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया।

पेन ड्राइव में। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन से पेन ड्राइव में निहित बातचीत की वास्तविकता/प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए जांच करने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने कहाः

. इसलिए, हम पाते हैं कि यह ऑर्डर करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

इसकी प्रामाणिकता/वास्तविकता का पता लगाने के लिए पूछताछ पेन ड्राइव में निहित बातचीत। इसलिए हम

माननीय श्री से अनुरोध करें। न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन सेवानिवृत्त हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पेन ड्राइव में निहित बातचीत की प्रामाणिकता/वास्तविकता का पता लगाने के लिए जांच करेंगे।

4.8

उच्च न्यायालय ने जांच के संबंध में उसी अनुच्छेद में जिसे निर्देशित किया गया था, निम्नलिखित कहा गयाः

. यह पता लगाने के लिए जांच सीमित है कि

बातचीत की प्रामाणिकता/वास्तविकता और साजिश के पीछे तीसरे पक्ष की रुचि। लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मुख्य
रिट याचिका में शामिल मुद्दे पर सीधा असर,

में लगाए गए आरोप को तय करने की सीमा को छोड़कर

कोई अन्य आनुषंगिक कार्यवाही। उच्च न्यायालय के पंजीयक को दोहराने का निर्देश दिया गया था

4.9

रिकॉर्ड और पेन ड्राइव का सेट और ऐसी एक प्रति को भेजें

न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन। में निहित अनुरोध

न्यायमूर्ति रवींद्रन को उच्च न्यायालय का आदेश था

निम्नलिखित प्रभावः
" हम माननीय श्री से अनुरोध करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रामाणिकता के रूप में जांच के आधार पर न्यायालय

पेन-ड्राइव में निहित बातचीत की वास्तविकता, बातचीत करने वाले व्यक्ति और तीसरे पक्ष/पक्षों की अप्रकाशित रुचि।

4.10 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश से व्यथित

न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन के माध्यम से जांच का निर्देश देना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, याचिकाकर्ता, सेवानिवृत्त कार्यवाहक

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह याचिका दायर की है।

रिट याचिका।

5. यह विशेष अनुमति याचिका विचार के लिए ली गई थी

2021. प्रस्तुतियों के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री

एंट भूषण ने कहा कि श्री रामकृष्ण के साथ एक व्यक्ति के बीच हुई बातचीत का प्रतिलेखन दिनांक 20.07.2020 जस्टिस वी. ईश्वरैया (RETD.) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस के रूप में दायर किया गया है।

[अशोक भूषण, जे।]

पेपर बुक के लिए अनुलग्नक पी16। उन्होंने बातचीत पर विवाद नहीं किया और प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता को दिनांकित 20.04.2020 बातचीत के संबंध में एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जाए। इस न्यायालय द्वारा 11.01.2021 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" श्री प्रशांत भूषण, विद्वान वकील

याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि बातचीत का प्रतिलेखन

श्री रामकृष्ण के साथ याचिकाकर्ता दिनांक 20.07.2020 के रूप में दायर किया गया है

अनुलग्नक पी16।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील विवाद नहीं करता है

बातचीत। वह प्रार्थना करता है कि उसे एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जाए

उपरोक्त वार्तालाप के संबंध में याचिकाकर्ता।

शपथ पत्र दाखिल होने दीजिए। मामले को 18.01.2021 पर सूचीबद्ध करें।

6. इस न्यायालय के दिनांक 11.01.2021 के आदेश के अनुसरण में, शपथ पत्र

दिनांक 14.01.2021 याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया द्वारा दायर किया गया है।

(सेवानिवृत्त)। हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि आंध्र प्रदेश के निलंबित जिला मुन्सिफ मजिस्ट्रेट श्री एस. रामकृष्ण ने उन्हें फोन किया था

उच्च न्यायालय के समक्ष श्री एस. रामकृष्ण। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे कलम में निहित भाषण की एक सही प्रतिलिपि प्रदान कर रहे हैं पृष्ठ 134-154 पर अनुलग्नक पी-16 के रूप में ड्राइव करें। हलफनामे का पैराग्राफ 4 सी इस प्रकार हैः

" 4 सी।

मैंने एक सही प्रतिलेख प्रदान किया है

पेन ड्राइव में निहित ऑडियो टेप का अंग्रेजी अनुवाद

मुझे एसएलपी पेपर बुक में पृष्ठों पर अनुलग्नक पी16 के रूप में प्रदान किया गया

134-154 . मैं दोहराता हूं, यह ऑडियो संस्करण का प्रतिलेखन है

श्री रामकृष्ण ने उच्च न्यायालय में जो बातचीत दर्ज कराई है

अदालत "।

7. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है, सीखा

प्रत्यर्थी संख्या 5, श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल की ओर से पेश वकील भी भारत संघ की ओर से पेश हुए हैं।

8. दो अनुप्रयोग, अर्थात आई. ए. संख्या। 3926 2021 का और 2021 का 3927

और हस्तक्षेप करने वालों द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने की प्रार्थना करते हुए 2021 का आई. ए. No.1215 दायर किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. इस विशेष आदेश में प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए

याचिका छोड़ दें, हम हस्तक्षेप आवेदन Nos.3926 और 2021 का 3927 और 2021 का I. A. संख्या 1215 को अनुमति देने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इस प्रकार, हस्तक्षेप आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय 2020 की आई. ए. संख्या 7 और 2020 की आई. ए. संख्या 8 पर विचार नहीं कर सकता था।

श्री एस. रामकृष्ण के कहने पर, एक निलंबित मुन्सिफ जब 31.07.2020 पर प्रारंभिक आपत्ति पर रिट याचिका पहले ही बंद हो चुकी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता और श्री रामकृष्ण के बीच निजी बातचीत को रिट याचिका का विषय नहीं बनाया जा सकता था। रिट याचिका की विषय वस्तु उक्त बातचीत में निहित विषय से पूरी तरह से अलग है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायमूर्ति वी.

ईश्वरैया को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस नहीं दिया गया था और यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को दिए बिना अनुलेखन दिनांक 20.07.2020 में जांच का निर्देश देने वाला कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था। मौका मिलता है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता प्रतिलेखों को स्वीकार करता है, जिसे पेपर बुक के अनुलग्नक पी-16 पृष्ठों 134-154 के रूप में दायर किया गया है, इसलिए न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन द्वारा कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा जांच करने का अनुरोध किया गया है।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

ऑडियो टेप का अनुलग्नक पी16 के रूप में अनुवाद, जिसे उनके समक्ष स्वीकार किया गया है, हम न्यायमूर्ति आर. वी. द्वारा जांच जारी रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं देखते हैं। रवींद्रन, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रतिलिपि की प्रामाणिकता और वास्तविकता को अनुलग्नक पी-16 में निहित सीमा तक स्वीकार किया गया है, हमारा विचार है कि न्याय बनाम ईश्वर (आर. ई. टी. डी.) बनाम भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

[अशोक भूषण, जे।]

13. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच का इस मुद्दे पर कोई सीधा असर नहीं होगा प्रारंभिक जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 13 में लगाए गए आरोपों पर निर्णय लेने की सीमा को छोड़कर मुख्य रिट याचिका में शामिल। उच्च न्यायालय ने 31.07.2020 और आई. ए. संख्या पर पी. आई. एल. की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति पर सुनवाई बंद कर दी थी। 7 और 2020 का 8 रिट याचिका को फिर से खोलने के लिए दायर किया गया था, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न केवल रिट याचिका की रखरखाव के संबंध में था।

14. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को रिट याचिकाकर्ता के कहने पर जनहित याचिका की स्थिरता के अलावा मामले में कोई अन्य जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई बातचीत के साथ-साथ मांगी गई जांच रिपोर्ट केवल उपरोक्त उद्देश्य के साथ थी।

15. अब, रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 20.07.2020 प्रतिलिपि का अंग्रेजी अनुवाद स्वीकार किए जाने के बाद, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वयं अनुलग्नक पी-16 के रूप में दायर किया है, हमारा विचार है कि यदि उच्च न्यायालय उपरोक्त प्रतिलिपि को संदर्भित करने का इरादा रखता है, यदि आवश्यक हो, तो वर्तमान याचिकाकर्ता, न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया को अवसर देने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

16. हमने विशेष अनुमति याचिका में न तो नोटिस जारी किया है और न ही रिट याचिका के गुण-दोष में प्रवेश किया है और न ही किसी को व्यक्त किया है। 2020 की रिट याचिका पी. आई. एल. No.168 की स्थिरता पर राय, यह उच्च न्यायालय पर है कि वह रिट याचिका के साथ आगे बढ़े और पी. आई. एल. की स्थिरता सहित, दलीलें सुनने के बाद, जिस बिंदु पर आदेश सुरक्षित रखे गए थे, उसी पर निर्णय ले।

17. विशेष अनुमति याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

ए

स. एल. पी. का निपटारा कर दिया गया।